जिला समादेष्टा गृह रक्षा वाहिनी का कार्यालय, हजारीबाग

आवश्यक सूचना

विज्ञापन सं0 01/2019 के तहत शारीरिक एवं लिखित तथा तकनीकी जाँच परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का प्रखण्डवार भौतिक एवं दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रमः–

क्र0सं0	प्रखण्ड	दिनांक	अभ्युक्ति
1	विष्णुगढ़	03.08.2026	
2	डांडी	04.08.2026	
3	चुरचू	05.08.2026	
4	बरकट्ठा	06.08.2026	
5	दारू	07.08.2026	
6	बरही	08.08.2026	
7	कटकमदाग	10.08.2026	
8	चौपारण	11.08.2026	
9	कटकमसांडी	12.08.2026	
10	बड़कागांव	13.08.2026	
11	चलकुशा	14.08.2026	
12	केरेडारी	17.08.2026	
13	टाटीझरिया	18.08.2026	
14	सदर हजारीबाग	19.08.2026	
15	शहरी तकनीकी	20.08.2026	
16	शहरी गैरतकनीकी	21.08.2026	
17	दिनांक 07.04.2021 को शारीरिक जाँच परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी	22.08.2026 (सभी सफल महिला एवं शहरी तकनीकी पुरूष) एवं 24.08.2026 (सभी सफल ग्रामीण पुरूष एवं गैरतकनीकी शहरी)	

उपरोक्त निर्धारित तिथियों को सभी सफल महिला एवं पुरूष अभ्यर्थी निम्न मूल दस्तावेजों के साथ समाहरणालय हजारीबाग में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगेः–

(i) शारीरिक एवं लिखित जाँच परीक्षा हेतु निर्गत प्रवेशपत्र/एडमिट कार्ड (यदि उपलब्ध हो।)

(ii) आवासीय प्रमाण पत्र (आवेदन करते समय संलग्न सक्षम प्रधिकार से निर्गत ऑनलाईन प्रारूप में)

(iii) शैक्षणिक प्रमाण पत्र (ग्रामीण के लिए सातव उत्तीर्ण तथा शहरी के लिए मैट्रिक उत्तीर्ण प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि अंकित हो।)

(iv) तकनीकी श्रेणी का प्रमाण पत्र (शहरी तकनीकी अभ्यर्थियों के लिए)

(v) आधार कार्ड

(vi) खेल प्रमाण पत्र (यदि आवेदन में संलग्न किया गया हो।)

(vii) महिला कर्णांकित 5 प्रतिशत आरक्षण (विधवा, परित्यकता, तलाकशुदा) हेतू प्रमाण पत्र

<u>सत्यापन के लिए निम्न दिशानिर्देशों का अनुपालन अनिवार्य होगा :—</u>

(i) उपरोक्त अंकित दस्तावेज गृह रक्षक नवनामांकन विज्ञापन सं0 01/2019 के तहत आवेदन करते समय का होना अनिवार्य होगा। किसी भी परिस्थिति में बाद में निर्गत प्रमाण पत्रों को स्वीकार्य नही किया जायेगा।

(ii) सभी सफल अभ्यर्थी मूल दस्तावेजों के साथ स्वंय भौतिक रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। अभ्यर्थी मूल दस्तावेजों के अतिरिक्त सभी अंकित दस्तावेजों की एक–एक छायाप्रति भी साथ में लायेंगे।

(iii) सभी सफल अभ्यर्थी समाहरणालय, हजारीबाग में समय प्रातः 10 बजे से संध्या 5 बजे तक अपने–अपने प्रखण्ड एवं शहरी क्षेत्र के लिए निर्धारित तिथियों में अनिवार्य रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। मुख्य द्वार में रिर्पोटिंग टाईम प्रातः 9 बजे होगी।

(iv) यदि कोई अभ्यर्थी किसी परिस्थिति में निर्धारित तिथि को उपस्थित होने में असमर्थ रहते है तो अपना आवेदन समर्पित करते हुए उपस्थित नही होने का उचित कारण दर्शाएगे। किसी भी परिस्थिति में उचित कारण के बिना बाद में उपस्थित होने वाले सफल अभ्यर्थियों के उम्मीदवारी को स्वीकार्य नही किया जायेगा तथा उनकी उम्मीदवारी को रद्द माना जायेगा।

(v) प्रत्येक सफल उम्मीदवार अपने आवेदन किये गए प्रखण्ड/शहरी क्षेत्र के आधार पर ही निर्धारित तिथि को उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में दुसरे प्रखण्ड/शहरी क्षेत्र से सत्यापन के लिए उपस्थित नही होंगे।

(vi) भौतिक एवं दस्तावेज सत्यापन को अंतिम रूप से चयन का आधार नही माना जायेगा और न ही किसी भी अभ्यर्थी के द्वारा अंतिम रूप से चयनित होने की दावेदारी की जायेगी।

(vii) यदि किसी भी अभ्यर्थी का कोई भी दस्तावेज फर्जी/गलत पाया जाता है अथवा अन्य किसी प्रकार की धोखाधडी करने की कोशिश करता है तो उक्त उम्मीदवार के विरूद्ध तत्क्षण प्राथमिकी दर्ज करते हुए कानुनी कार्रवाई की जाएगी।

(viii) गृह रक्षक नवनामांकन विज्ञापन सं0 01/2019 में प्रकाशित रिक्ति एवं नवनामांकन समिति के द्वारा लिये गए निर्णय के आलोक में रिक्ति के विरूद्ध अंतिम रूप से मेद्या के आधार पर औपबंधिक परीक्षाफल प्रकाशित की जायेगी। इस हेतु माननीय उच्च न्यायलय झारखण्ड, राँची एवं गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखण्ड सरकार के स्तर से निर्देशित सभी बिन्दुओं का अनुपालन करते हुए एक त्रुटिरहित परीक्षाफल प्रकाशन की कार्रवाई जिला गृह रक्षक नवनामांकन समिति के द्वारा किया जायेगा।

(ix) उपरोक्त आवश्यक सूचना हजारीबाग जिला के अधिकारिक वेबसाइट **www.nic.gov.in** पर भी अपलोड किया गया है जिसे अभ्यर्थी लॉगइन कर देख सकते है।

सभी सफल अभ्यर्थी उपरोक्त अंकित अनुदेशो का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष गृह रक्षक नवनामांकन समिति, हजारीबाग के आदेशानुसार

23/07/19

जिला समादेष्टा
–सह–
सदस्य
गृह रक्षक नामांकन समिति
हजारीबाग।